



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-01.02.2025

विषय:- “आपरेेशन कन्विकशन” के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना कैन्ट में एन0डी0पी0एस0 एक्ट के मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 10,000/- रु0 का अर्थदण्ड ।

थाना कैन्ट, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0-282/2004 धारा 21/22 एन0डी0पी0एस0 एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त भल्लो उर्फ वल्ला पुत्र मोहन गौड़ निवासी डी-10/10 साक्षी विनायक गली थाना दशाश्वमेध जनपद वाराणसी हाल पता मकान किराये का राधे पहलवान चन्द्रा चौमुहानी थाना सारनाथ जनपद वाराणसी को प्रभारी निरीक्षक कैन्ट व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक-30.01.2025 को माननीय न्यायालय ASJ/FTC-14 F.C. जनपद वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त भल्लो उर्फ वल्ला उपरोक्त को अंतर्गत धारा 22 एन0डी0पी0एस0 एक्ट में जेल में बितायी गयी अवधि व 10,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।